सं0-34 /2018/2920/62-2-2018-2/3(48)/2018

प्रेषक,

अनीता सिंह,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

मुख्य अभियंता,
लघु सिंचाई विभाग,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

लघु सिंचाई एवं भूगर्भ जल अनुभाग-2 लखनऊः दिनांकः 02 नवम्बर, 2018

विषय- चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 के अन्तर्गत अनुदान संख्या-13 के अधीन ग्राउण्ड वाटर रिचार्जिग चेकडैम एवं हेडर का निर्माण (नाबार्ड पोषित) के अन्तर्गत बजट प्राविधान के सापेक्ष धनराशि अवमुक्त किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-520/ल0सिं0/बजट-आर0आई0डी0एफ0/2018-19, दिनांक 02.08.2018 एवं संख्या-773/ल0सिं0/बजट-आर0आई0डी0एफ0/2018-19, दिनांक 09.10.2018 तथा वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2018/बी-1-375/दस-2018-231/2018, दिनांक 30.03.2018 के संदर्भ में मुझें यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 के अन्तर्गत अनुदान संख्या-13 के अधीन ग्राउण्ड वाटर रिचार्जिग चेकडैम एवं हेडर का निर्माण (नाबार्ड पोषित) हेतु बजट में प्राविधानित धनराशि रू0-71.00 लाख के सापेक्ष धनराशि रू0-71.00 (रू0-इकहत्तर लाख मात्र) को व्यय हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः-

(1) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2018-19 के अन्तर्गत लघु सिंचाई विभाग की ग्राउण्ड वाटर रिचार्जिग एवं हेडर का निर्माण (नाबार्ड पोषित) पर किया जायेगा।

(2) अवमुक्त धनराशि को किसी ऐसे मद पर कदापि व्यय न किया जाये, जिसके लिए वित्तीय हस्तपुस्तिका तथा बजट मैनुअल एवं शासन के स्थाई/अस्थाई आदेशों के अन्तर्गत शासन या सक्षम अधिकारी की स्वीकृति आवश्यक हो, ऐसा व्यय शासन/सक्षम अधिकारी की स्वीकृति व सहमति प्राप्त करने के उपरांत ही किया जाय।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(3) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय अन्य किसी मद/योजना में कदापि न किया जाय तथा वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 30.03.2018 में निहित दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(4) स्वीकृत की जा रही धनराशि के संबंध में शासनादेश संख्या-1625/62-2-2015-2/2(3)/2015, दिनांक 04.08.2015, संख्या-1322/62-2-2015-/2(18)/2004 टी0 सी0-16, दिनांक 13.08.2015 तथा संख्या-3253/62-2-2015-2/2(18)/2004 टी0 सी0-8, दिनांक 13.08.2015 एवं संख्या-614/62-2-2016-2/2(18)/2004 टी0सी0-12, दिनांक 05.03.2016 द्वारा योजना के क्रियान्वयन हेतु निर्गत दिशा-निर्देशों में दिये गये शर्तो/प्रतिबन्धो/प्रक्रिया का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(5) निर्माण कार्यो के संबंध में समय-समय पर निर्गत शासनादेशों में दी गयी व्यवस्था का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(6) यह भी सुनिश्चित कर लेंगे कि यह योजना आर0आई0डी0एफ0 से स्वीकृत है।

(7) किसी भी दशा में अवमुक्त धनराशि से अधिक व्यय न किया जाय तथा समस्त व्यय संबंधित शासनादेशों तथा शासन के स्थाई/अस्थाई नियमों में उल्लिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन ही किया जाय।

1-	मासिक व्यय विवरण आगामी माह की	05 तारीख तक
2-	व्ययाधिक्य तथा बचत का अंतिम विवरण	15.12.2018 तक
3-	वर्ष 2018-19 के आवंटन का अंतिम लेखा विवरण (पुनर्विनियोग का प्रस्ताव) यदि कोई हो	15.02.2019 तक
4-	आवंटन का समर्पण	15.03.2019 तक

नोट:- दिनांक 15.03.2019 के बाद कोई भी समर्पण स्वीकार नहीं किया जायेगा।

2. उक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-13 के अधीन "लेखा शीर्षक-4702-लघु सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय-102-भूजल-11-ग्राउण्ट वाटर रिचार्जिग चेकडैम एवं हेडर का निर्माण (नाबार्ड पोषित)-24-वृहत् निर्माण कार्य" के नामे डाला जायेगा।

3. उक्त आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2018/बी-1-375/दस-2018-231/2018, दिनांक 30.03.2018 में दी गयी व्यवस्था के क्रम में जारी किये जा रहे हैं।

भवदीया,
(अनीता सिंह)
प्रमुख सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

सं0-34/2018/2920(1)/62-2-2018, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

2- महालेखाकार, (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

3- नियोजन अनुभाग-3, उत्तर प्रदेश शासन।

4- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-2, उत्तर प्रदेश शासन।

5- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2, उत्तर प्रदेश शासन।

6- संबंधित अधीक्षण अभियंता, लघु सिंचाई वृत्त।

7- संबंधित अधिशासी अभियंता, लघु सिंचाई प्रखण्ड।

8- निदेशक, सूचना, उत्तर प्रदेश।

9- एन0आई0सी0 की प्रति।

10- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(संजय शुक्ला)

अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।